

**ग्राम पंचायत स्पैडु, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश लेखाओं का
अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.17 से 31.03.18**

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्पैडु विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान:-

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम | अवधि |
|-------------|----------------------|------------------------|
| 1 | श्रीमति कमलेश कुमारी | 1/4/2017 से 31/03/2018 |

सचिव:-

| क्रम संख्या | सचिव का नाम | अवधि |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | श्री कुशल कुमार | 1/4/2017 से 31/3/2018 |

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत स्पैडु जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं में पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

| क्रमांक | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---------|-------------|---|------------------|
| 1 | 5 | रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तर्षे मे अन्तर | 0.15 |
| 2 | 7 | अनुदान राशियों का अवरोधन | 23.47 |
| 3 | 8 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.16 |
| 4 | 12 | वित्तीय नियमों की अवहेलना | ----- |
| 5 | 14 | औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 2.91 |

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत स्पैडु, विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री शिव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-12-18 से 20-12-18 तक ग्राम पंचायत स्पैडु के कार्यालय में किया गया ! लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमशः 07/2017 व 06/2017 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है I

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है ! उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा !

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत स्पैडु, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹2400 बनता है उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 2 दिनांक-19-12-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत स्पैडु से अनुरोध किया गया I

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत स्पैडु द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 स्व-स्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत स्पैडु के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 तक स्व-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 व 2 में भी दिया गया है।

1 स्व-स्रोत

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अंतिम शेष |
|---------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| 2017-18 | 178944 | 64614 | 243558 | 17438 | 226120 |

2 अनुदान

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अंतिम शेष |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 2017-18 | 1650000 | 1998919 | 3648919 | 1302288 | 2346631 |

(अ) कुल योग 1 + 2 = 226120 + 2572751 = 2346631

नोट:-पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया है तथा इसका आय-व्यय विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार किया गया I

(ब) दिनांक 31.03.2018 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

| Sr. No | Name of Bank | A/c No | Balance as on 31-3-18 |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
|--------|--------------|--------|-----------------------|

| | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|
| | KCC BANK | | |
| 1 | Padiyarkhar | 16007680 | 2587971.66 |
| | | Total | 2587971.66 |

अन्तर(ब- अ)2587972-2572751 = ₹15221

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.15 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्पैडु द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹15221 का अन्तररोकड़ वही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा इस अन्तर का अति शीघ्र मिलान किया जाये तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये !

6 मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्पैडु द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार फार्म-14 में सामान्य नियमानुसार रोकड़ बही तो तैयार की गई है, परन्तु मनरेगा की रोकड़ बही तैयार नहीं की जा रही है। व आय व्यय विवरणी ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार की गई जिससे कि न केवल आय-व्यय विवरण तैयार करने में मुश्किल आई परन्तु इसमें अतिरिक्त समय कि बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार मनरेगा रोकड़ बही तैयार करना सुनिश्चित की जाए !

7 अनुदान ₹23.47 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹2346631 उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के ब्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को ब्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-18 तक निम्न विवरणानुसार ₹15930 (15305+625) का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष था जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

8.1 गृहकर

| वर्ष | अथ शेष | माँग | योग | प्राप्ति | अंतिम शेष |
|---------|--------|-------|-------|----------|-----------|
| 2017-18 | 2295 | 13200 | 15495 | 190 | 15305 |

8.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹625 की कम वसूली बारे:-

संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.2016 के अंतर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बीपीएल परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरांत व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 (बीपीएल परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूली जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत ने 30 दिन उपरांत निम्नलिखित विवाह पंजीकृत किए थे परंतु ₹400 (बीपीएल परिवार ₹50) की अपेक्षा ₹200 (बीपीएल परिवार ₹25) ही वसूले गए थे जिसके फलस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹625 के राजस्व की हानि हुई है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा पंचायत निधि में ज़मा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

| वर्ष | विवाह पंजि. रजिस्टर क्र.सं. | विवाह की तिथि | विवाह पंजीकरणकी तिथि | राशि जो वसूली जानी थी | राशि जो वसूली गयी | कम वसूली गयी राशि |
|---------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2017-18 | 5 | 04-03-17 | 05-04-17 | 400 | 200 | 200 |
| | 8 | 06-06-17 | 19-07-17 | 400 | 200 | 200 |
| | 13 | 23-11-17 | 27-12-17 | 50 | 25 | 25 |
| | 3 | 18-02-18 | 20-03-18 | 400 | 200 | 200 |
| | | | योग | 1250 | 625 | 625 |

9 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक ब्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व ब्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा ब्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु

ग्राम पंचायत स्पैडु द्वारा इस को न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा ब्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुशिकल आई परन्तु साथ में आय ब्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस सार बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

10 नियमानुसार निवेश न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (surplusfunds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कारवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के संदर्भ में प्रारूप 1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

11 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप-11 में पंचायत के आय तथा ब्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

12 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त

बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत स्पैडु में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

13 रोकड बही से सीमेंट जारी करना :-

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेंट को एम.ए.एस. (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर / सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से संबन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियाँ की गई है। रोकड बही की जाँच में पाये गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत किए गए हैं। सीमेंट के लेखांकन का यह तरीका नियमानुसार नहीं है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कारवाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र.सं. | रो.व.पू.सं. | दिनाँक | वाउचर सं. | बोरि याँ | प्रति बोरी मूल्य | कुल लागत |
|---------|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 74 | 05-05-17 | 8 | 15 | 316 | 4740 |
| 2 | 74 | 05-05-17 | 9 | 04 | 316 | 1264 |
| 3 | 84 | 24-10-17 | 42 | 12 | 316 | 3792 |
| 4 | 84 | 24-10-17 | 43 | 45 | 316 | 14220 |
| 5 | 84 | 24-10-17 | 44 | 24 | 316 | 7584 |
| 6 | 86 | 20-11-17 | 50 | 14 | 323 | 4522 |
| 7 | 91 | 30-01-18 | 62 | 46 | 323 | 14858 |
| 8 | 91 | 30-01-18 | 63 | 07 | 323 | 2261 |
| 9 | 91 | 30-01-18 | 64 | 35 | 323 | 11305 |
| 10 | 91 | 30-01-18 | 65 | 30 | 323 | 9690 |
| 11 | 91 | 30-01-18 | 66 | 20 | 323 | 6460 |
| 12 | 92 | 21-02-18 | 71 | 12 | 323 | 3876 |
| 13 | 94 | 01-03-18 | 74 | 60 | 323 | 19380 |
| 14 | 94 | 01-03-18 | 75 | 85 | 323 | 27455 |
| 15 | 94 | 01-03-18 | 76 | 05 | 323 | 1615 |
| | | | | | कुल योग | ₹133022 |

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.91 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्य करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्य करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिए गए विवरणानुसार

पंचायत द्वारा ₹290803 की निर्माण सामग्री का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

15 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

- 1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 2 जल प्रभार रजिस्टर
- 3 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 4 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 डाक टिकट रजिस्टर
- 6 निवेश रजिस्टर
- 7 मोबाईल टावर रजिस्टर
- 8 वेतन व मानदेय रजिस्टर इत्यादि।

16 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार स्थाई व अस्थायी भण्डार रजिस्ट्रों में इन्द्राज नहीं किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 विविध अनियमितताये:-

17.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

- 17.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, श्रमकर तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
- 17.3 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत सीटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 18 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।
- 19 निष्कर्ष:- लेखों के रख रखाव में हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः यह प्रकरण पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस संदर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएँ।

हस्ता / -
 (ज्ञान चन्द शर्मा)
 उप निदेशक
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
 फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)223/19 खण्ड-1-3074-3077 दिनांक 27.03.2019 शिमला-09
 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत स्पैडु, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
 (ज्ञान चन्द शर्मा)
 उप निदेशक
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
 फोन नं० 0177-2620881